प्रेस नोट
दिनांक 13.11.2026
जनपद - मऊ

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर ली गयी सलामी तथा दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 13.11.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया। साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले एक नफर अभियुक्त की गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.11.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर, मझौवा से मु0अ0सं0 368/2026 धारा 318(4)/336(2)/338/340(2) बीएनएस व 12(1)B पासपोर्ट अधिनियम,1967 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रक्षा सिंह निवासी ग्राम मझौवा पो0 दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष को को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 368/2026 धारा 318(4)/336(2)/338/340(2) बीएनएस व 12(1)B पासपोर्ट अधिनियम,1967

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रक्षा सिंह निवासी ग्राम मझौवा पो0 दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

ग्राम मझौवा से समय करीब 09.45 बजे सुबह

आपरेशन कान्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधी से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-07.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 476/2007 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त बिरंजी उर्फ शिवकुमार राजभर पुत्र चंद्र देव राजभर निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा जेल में बितायी गयी अवधी की सजा से दंडित किया गया।

थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ पुलिस आम जनता की गुम 01 अदद मोबाइल फोन (कीमत लगभग-,14999/- रुपये) को उनके स्वामिनी को वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में द्वारा साइबर अपराध एवं मोबाइल फोन बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना मोहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.11.2026 को आम जनता की 01 अदद मोबाइल फोन जो गुम हो गयी थी जिसे आवेदिका द्वारा सीईआईआर पोर्टल पर कम्पलेन किया गया था। गुम मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग- 14999/- रुपये का साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उनके स्वामिनी को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया ।

मोबाइल फोन बरामदगी विवरण-

1.आवेदिका शुभवती पत्नी प्रभूनाथ निवासी खुशामदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का मोबाइल- सैमसंग मोबाइल

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा बताया गया कि यह अभियान नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए चलाए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागरिकों की सुरक्षा और उनके सामानों की रक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मऊ पुलिस आम नागरिको से अपील करती है कि वे अपने मोबाइल फोन के IMEI नंबर सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की चोरी या गुमशुदगी की घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें।

***जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 19119-/ (उन्नीस हजार एक सौ उन्नीस रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 13.11.2026 को पीड़ित के खाते से ओटीपी शेयर करने के कारण फ्राड की गयी कुल धनराशि- 19119-/ (उन्नीस हजार एक सौ उन्नीस रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण-

- थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा कुल 01 पोडित/अवेदक को 19119 रुपये कराये गये वापस-

1. आवेदिका समा परवीन पत्नी मोहम्मद अहमद निवासी अतरारी थाना घोसी जनपद मऊ का 19119/- रुपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 01 वारण्टी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 13.11.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 01 वारटी अभियुक्त गुड्डू राजभर उर्फ राजकुमार पुत्र जितेन्द्र निवासी (नियामुपुर) खालिसपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स मऊ में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया–

आज दिनांक 13.11.2026 को पुलिस लाइन मऊ में शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु मासिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुदृढ़ता एवं फिटनेस को बढ़ावा देने की दिशा में शिविर में पुलिस लाइन में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परिक्षण मेडिकल डायरेक्टर संजय सिंह एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. सुजीत सिंह, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मालविका राय, डॉ. जयेंद्र सहित अन्य चिकित्सकों ने किया। उक्त चिकित्सको द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी किया गया । उक्त कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ ने कहा कि पुलिसकर्मियों का स्वस्थ्य एवं फिट रहना उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं समय-समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रेरित किया । उक्त चिकित्सा शिविर में कुल 80 पुलिस परिवार सम्मिलित हुए जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया ।

छठ पुजा त्योहार को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 13.11.2026 को जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर ,क्षेत्राधिकारी घोसी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत तमसा नदी छठ घाट (गाय घाट, मडैया घाट ,ब्रम्हस्थान) तथा कोतवाली घोसी क्षेत्रान्तर्गत छठ घाट नरोखर पोखरा का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली नगर एवं घोसी के सभी संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया कि छठ पर्व के अवसर पर घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएँ। साथ ही भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक संसाधन पूर्व से ही मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए गए तथा पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से मु0अ0सं0- 423/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश पुत्र स्व0 बुद्धीराम यादव निवासी अनवलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
1. कमलेश पुत्र स्व0 बुद्धीराम यादव निवासी अनवलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ ।
पंजीकृत अभियोग का विवरण
1. मु0अ0सं0- 423/2026 धारा 69 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ ।
गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान
1. दिनांक 13.11.2026

आपरेशन कान्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधी (1 माह) की सजा व जुर्माना (3000 रुपये) से कराया गया दण्डित-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-13.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 12/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त पवन रावत पुत्र बैजनाथ रावत निवासी नयी हनुमानगढ़ी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को मा0 न्यायालय स्पे.(जे) एससी/एसटी कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा जेल में बितायी गयी अवधी (1 माह) की सजा व 3000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

थाना हलधरपुर पर मुकदमें में बरामद अवैध विस्फोटक सामग्री (पटाखा) कुल मात्रा- 1739 कि.ग्रा. कराया गया विनिष्टीकरण–

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध विस्फोटक सामग्री का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, विस्फोटक सामग्री विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश के क्रम में दिनांक 13.11.2026 को नायब तहसीलदार श्री मनोज कुमार सिंह,राजस्व क्षेत्रीय निरीक्षक बिरेंद्र सिंह, थानाप्रभारी हलधरपुर की उपस्थिति में थाना हलधरपुर में कुल 04 अभियोंग से संबंधित अबैध विस्फोटक सामग्री (पटाखा) कुल मात्रा- 1739 कि.ग्रा. को गड्डे में डालवाकर और ऊपर से पानी डालकर नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया गया ।